

# यूपीओ को-आपरेटिव फेडरेशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, मिर्जापुर

लोहदी महाबीर मार्ग, चोरवाबारी मिर्जापुर  
पत्रांक:पीसीएफ/क्ष०का०/उर्वरक-बीज परिवहन/ई-टेण्डर/2026-27/59

E mail- [rmpcfmzp@gmail.com](mailto:rmpcfmzp@gmail.com)

दिनांक: 15/5/26

## पुनः ई-निविदा सूचना

कृपया मुख्यालय के पत्रांक:पीसीएफ/उर्वरक/2026-27/12 दिनांक 02.04.2026 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पी०सी०एफ० में पंजीकृत/अपंजीकृत परिवहन ठेकेदारों/फर्मों से वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग एवं पल्लेदारी कार्यों के लिए विन्ध्याचल मण्डल के जनपद मिर्जापुर एवं भदोही में परिवहन ठेकेदार नियुक्त किये जाने हेतु ई-निविदाएँ क्षेत्रीय कार्यालय पी०सी०एफ० विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर स्तर पर निम्न तिथि में आमंत्रित की जाती है:-

क्र०सं०	मण्डल/जनपद का नाम	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि	निर्धारित समय		
			निविदा प्रपत्र अपलोड करने का समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	निविदा प्रपत्र खोलने का समय
1	मिर्जापुर मण्डल (जनपद मिर्जापुर एवं भदोही)	26.05.2026	3.00 PM	26.05.2026	3.30 PM

निर्धारित निविदा प्रपत्र, मूल्य, धरोहर धनराशि, निविदा विशिष्टीकरण, निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी <https://etender.up.nic.in> से डाउन लोड की जा सकती है तथा अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के मोबाइल नं० 8765984639, 8765984640 पर सम्पर्क कर सकते हैं। निविदा का विवरण निम्नवत् है:-

- उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग एवं पल्लेदारी कार्य हेतु।
- धरोहर धनराशि:- (1) A, B, C कैटेगरी सभी जनपद हेतु रू० 1,00,000.00 (एक लाख मात्र)।
- टेण्डर फार्म शुल्क रू० 5000.00+जी०एस०टी० अतिरिक्त (18%)= 5900.00 (पाँच हजार नौ सौ रुपये मात्र)।
- आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से ही धरोहर धनराशि एवं निविदा/पंजीयन शुल्क निम्न खातों में जमा किया जायेगा।  
धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाता संख्या-

S.N.	District Name	Bank Name	Name of Account	A/C Number	IFSC Code	Name of Branch
1	Mirzapur	Punjab National Bank	UP COOPERATIVE FEDERATION LTD.	474000VS00002952	PUNB0032200	Badali Katra Mirzapur

किसी भी दशा में डिमाण्ड ड्राफ्ट/रसीद स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं बिना धरोहर राशि वाली एवं पूर्व वर्षों की जमा अर्नेष्टमनी इस वर्ष मान्य नहीं होगी, सशर्त एवं अपूर्ण निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० जमा की रसीद टेण्डर फार्म में लगाना अनिवार्य है रसीद न लगाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र पर निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव सभी आवश्यक डाक्यूमेण्ट्स को स्कैन कर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर निर्धारित तिथि एवं समय तक अपलोड किया जा सकेगा। वांछित प्रपत्र अपलोड न किये जाने की स्थिति में टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिन परिवहन ठेकेदारों को पूर्व में पी०सी०एफ० या अन्य किसी सरकारी/सहकारी संस्था (भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार) द्वारा काली सूची में डाला गया है, उनकी निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी और टेण्डर कमेटी द्वारा ऐसी डाली गयी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

पीसीएफ के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धरोहर धनराशि/निविदा पंजीयन शुल्क एवं निविदा मूल्य की रसीद नहीं काटी जायेगी और न ही रसीद तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार होंगे।

सभी टेण्डरदाताओं को रैक हैंडलिंग की सभी स्लैब दरें भरना अनिवार्य है, अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाता की वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त अपलोड होने वाली निविदाओं के सम्बन्ध में पी०सी०एफ० जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। टेण्डर फार्म में निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उक्त के अनुरूप वेबसाइट पर अपलोड की गयी निविदा सूचना के अनुसार ही आमन्त्रित निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/विभाजित करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

(रामजी/शुशवाहा)  
क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
15/5/26

पी०सी०एफ०, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर



# PCF यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,

परिपत्रांक: पीसीएफ/उर्वरक/2026-27/ 12

दिनांक: 02/04/2026

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
पी0सी0एफ0,  
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला प्रबन्धक,  
पी0सी0एफ0,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रिबैगिंग, रैक हैंडलिंग, एवं पल्लेदारी कार्य हेतु ठेकेदारों एव दरों के निर्धारण हेतु ई-टेंडर कार्यवाही।

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग तथा पल्लेदारी कार्यों के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने हेतु ई-टेंडर के माध्यम से प्राप्त निविदा मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय, पी0सी0एफ0 उ0प्र0 में निम्न तिथियों में खोली जायेंगी:-

क्र.सं.	मण्डल का नाम	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि	निर्धारित समय		
			निविदा प्रपत्र अपलोड करने का समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	निविदा प्रपत्र खोलने का समय
1	मेरठ, आगरा, झोंसी, देवीपाटन, प्रयागराज, वरती, वाराणसी सहारनपुर, अलीगढ़, गुरादाबाद, वरेली, कानपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, लखनऊ, अयोध्या मण्डल।	18.04.2026	3.00 PM	18.04.2026	3.30 PM

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (02 वर्ष) हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग, रिबैगिंग तथा पल्लेदारी कार्यों के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-टेंडर के माध्यम से दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार मण्डल स्तर पर नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- 1- क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा सम्पन्न होने वाली निविदा का प्रचार-प्रसार करायेगा। ई-निविदा सम्पादित कराये जाने की सूचना अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
- 2- क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा निविदा फार्म, नियम शर्तें एवं निविदा सूचना को आज ही ई-टेंडर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड की जायेगी।
- 3- निविदादाता द्वारा निविदा फार्म टेंडर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड कर, समस्त औपचारिता पूर्ण करने के उपरान्त निविदा फार्म एवं वांछित प्रपत्र स्कैन कर अपलोड की जायेगी।
- 4- मण्डल स्तर पर प्राप्त समस्त निविदादाता का निविदा फार्म शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं नियुक्त परिवहन ठेकेदार की अर्नेस्टमनी को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।
- 5- पीसीएफ के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धरोहर धनराशि/पंजीयन शुल्क/निविदा फार्म शुल्क की रसीद न ही काटी जायेगी और न ही रसीद स्वीकार की जायेगी।
- 6- नान रिफन्डेबिल टेंडर फार्म शुल्क ₹0 5000.00 + जीएसटी अतिरिक्त (18%) = ₹0 5900.00 (रु पाँच हजार नौ सौ मात्र) निर्धारित है।

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
पी0सी0एफ0 मुख्यालय मण्डल  
मीरजापुर



Scanned with OKEN Scanner

7-जमानत धनराशि:-

जनपद की श्रेणी	जमानत धनराशि
ए	20.00 लाख
बी	10.00 लाख
सी	8.00 लाख

निर्धारित है। सम्बन्धित जिला प्रबन्धक द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार से अनिवार्य रूप से जमानत धनराशि (अर्नेस्टमनी समायोजित करते हुए) अनुबन्ध होने से पूर्व जमा करायी जायेगी। जमानत धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध का कार्य सम्पादित कराया जायेगा। जिसकी राशिका सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा करते हुए जमानत धनराशि अनिवार्य रूप से मुख्यालय प्रेषित करायी जायेगी।

8- अर्नेस्ट मनी धनराशि कैटेगरीवार A, B, C जनपद हेतु रू० 1,00,000.00 (एक लाख) निर्धारित है। धरोहर धनराशि/निविदा फार्म शुल्क एवं अनरजिस्टर्ड निविदादाता की पंजीयन शुल्क मण्डल स्तर पर खुले "यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०" के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से जमा करायी जायेगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा असफल निविदादाता की अर्नेस्टमनी मण्डल स्तर से ही वापस कर दी जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा पी०सी०एफ० के बैंक खाते का उल्लेख निविदा फार्म में किया जायेगा।

9-बिना निविदा फार्म शुल्क एवं अर्नेस्टमनी शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा बिना किसी विचार के उसे निरस्त कर दिया जायेगा। पूर्व वर्षों की जमा अर्नेस्टमनी इस वर्ष मान्य नहीं होगी। यदि निविदादाता द्वारा दूसरे जनपद हेतु भी निविदा डाली जाती है तो उसे नयी अर्नेस्टमनी का शुल्क जमा करना होगा।

10- कमेटी द्वारा गोदाम से समिति/बिक्री केन्द्र पर परिवहन दरों का निर्धारण निम्नवत परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा।

दूरी का विवरण	दर
0 से 08 किमी० तक	रू० 2500 - 3500 प्रति 100 कु०
09 किमी० से 40 किमी० तक	रू० 120 प्रति 100 कु० प्रति किमी०
41 किमी से अधिक	रू० 100 प्रति 100 कु० प्रति किमी०

उर्वरक/बीज परिवहन कार्य हेतु टेण्डर में 0 से 08 किमी तक की दूरी में रू० 2500 से रू० 3500 के बीच की दरें भरी जायेगी तथा 09 किमी से अधिक की दूरी पर उपर्युक्त दरों में 10 प्रतिशत से कम दरें प्राप्त होती हैं तो ऐसी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11-उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग, रिबेगिंग एवं पल्लेदारी कार्यों के लिए दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने हेतु ई-टेण्डर की कार्यवाही मण्डल स्तर पर अधोलिखित कमेटी द्वारा सम्पन्न की जायेगी:-

1. सम्बन्धित मण्डल के उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक सहकारिता उ०प्र०। अध्यक्ष
2. सम्बन्धित जिले का सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ०प्र०। सदस्य
3. सम्बन्धित मण्डल के वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, उ०प्र०। (संयोजक/सदस्य)
4. सम्बन्धित क्षेत्र प्रबन्धक, इफको। सदस्य
5. सम्बन्धित क्षेत्र प्रबन्धक, कृभको। सदस्य
6. सम्बन्धित जिले का जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ० उ०प्र०। सदस्य
7. सम्बन्धित मण्डल अथवा जनपद के लेखाकार पी०सी०एफ० उ०प्र०। सदस्य

सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक पी०सी०एफ० उक्त कमेटी के सदस्य/संयोजक होंगे तथा निर्धारित समय पर पारदर्शी एवं नियमानुसार टेण्डर की कार्यवाही कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

Scanned with CamScanner

लेखा प्रबन्धक  
पी०सी०एफ० विन्ध्याचल मण्डल  
मीरजापुर



12-पीसीएफ में पंजीकृत निविदादाताओं को टेण्डर फार्म के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा:-

- (अ) पीसीएफ द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।  
 (ब) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।  
 (स) अर्नेस्टमनी एवं निविदा फार्म धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र।  
 (द) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अधोलिखित विवरण के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा:-  
 ए श्रेणी जनपद-रु0 80.00 लाख, बी श्रेणी जनपद- रु0 50.00 लाख, सी श्रेणी जनपद-रु0 25.00 लाख  
 (ह) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।  
 (घ) निविदा हेतु ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु वांछित स्वामित्व वाले ट्रकों :-

जनपद की श्रेणी	ट्रक	
	स्वामित्व	अनुबन्धित
ए	15	20
बी	10	15
सी	05	10

के पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद, स्वरथता प्रमाण पत्र (फिटनेस), बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र।

टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर ठेकेदार से स्वामित्व ट्रकों के साथ ए श्रेणी में 20 अनुबन्धित ट्रक, बी श्रेणी में 15 अनुबन्धित ट्रक, सी श्रेणी में 10 अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध 02 वर्षों के लिए कराते हुए पीसीएफ को उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार पीसीएफ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा 05 दिन के अन्दर स्वामित्व एवं अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध नहीं किया गया तो उसकी अर्नेस्टमनी जप्त (FORFEIT) कर ली जायेगी।

13-जिन रजिस्टर्ड परिवहन ठेकेदारों का कार्यकाल की वैधता अवशेष है उन्हें निविदा में मॉगी गयी वांछित शर्तें पूर्ण करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

14-पीसीएफ में अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार भी ई-निविदा में सम्मिलित हो सकते हैं। अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार को टेण्डर फार्म के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा:-

(अ) अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार निविदा में सम्मिलित होने के लिए अर्नेस्टमनी शुल्क, नान रिफन्डेबिल टेण्डर फार्म शुल्क के साथ, नान रिफन्डेबिल पंजीकरण शुल्क ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों के लिए सामान रूप से रु0 1,25,000.00 (रु0 एक लाख पच्चीस हजार) रु0 जमा करना होगा। पूर्व वर्षों में जमा की गयी नान रिफन्डेबिल पंजीकरण शुल्क मान्य नहीं होगा।

(ब) निविदा हेतु ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु वांछित स्वामित्व वाले ट्रकों :-

जनपद की श्रेणी	ट्रक	
	स्वामित्व	अनुबन्धित
ए	15	20
बी	10	15
सी	05	10

के पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद, स्वरथता प्रमाण पत्र (फिटनेस), बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर ठेकेदार से स्वामित्व ट्रकों के साथ ए श्रेणी में 20 अनुबन्धित ट्रक, बी श्रेणी में 15 अनुबन्धित ट्रक, सी श्रेणी में 10 अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध 02 वर्षों के लिए कराते हुए पीसीएफ को उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार पीसीएफ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

पीसीएफ विध्यावल मण्डल  
 राजापुर

यदि ठेकेदार द्वारा 05 दिन के अन्दर स्वागित्त्व एवं अनुवन्धित ट्रकों का अनुवन्ध नहीं किया गया तो उसकी अर्नेस्टमनी जवा (FORFEIT) कर ली जायेगी।

(स) सरकारी/सहकारी/ अर्द्धसरकारी विभाग में नियमित उर्वरक/बीज/खाद्यान्न/अन्य परिवहन का कार्य किया गया हो एवं रैक हैण्डलिंग का भी कार्य किया गया हो, का ही अनुभव प्रमाण पत्र पत्रांक/दिनांक सहित मान्य होगा।

ए. बी. सी श्रेणी जनपद के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र:-

जनपद की श्रेणी	वर्ष	कार्य की राशि
ए	02 वर्ष	50 लाख
बी	02 वर्ष	20 लाख
सी	01 वर्ष	05 लाख

(द) फर्म/कम्पनी जैसी भी स्थिति हो का फर्म प्रमाण पत्र व डीडी भी अपलोड करना होगा।

(ध) ए. बी. सी श्रेणी के जनपदों हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वॉछित हैसियत प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरण के अनुसार:-

जनपद की श्रेणी	हैसियत प्रमाण पत्र
ए	80.00 लाख
बी	50.00 लाख
सी	25.00 लाख

(य) ए. बी. सी समस्त श्रेणी के जनपदों हेतु 03 वर्ष का आयकर रिटर्न (आईटीआर), एवं पैन कार्ड। व्यक्ति, फर्म/कम्पनी अथवा सभी भागीदारों का अलग-अलग के नाम आईटीआर होना चाहिए।

(र) जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का निवास प्रमाण पत्र।

(ल) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।

(व) व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का आधार कार्ड।

(स) निविदा फार्म शुल्क एवं अर्नेस्टमनी धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणक।

(ह) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, यदि फर्म कम्पनी है तो फर्म/कम्पनी के नाम का जीएसटी0 प्रमाण पत्र।

(क्ष) पंजीकरण फार्म में उल्लिखित बिन्दुओं पर शपथ पत्र।

उपरोक्त वैध प्रपत्र अपलोड न करने की दशा में पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

15-अपंजीकृत नियुक्त निविदादाता पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख 05 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण की अवधि 02 वर्ष रहेगी। 05 दिवस में समस्त अभिलेखों (पंजीकरण की वाछित अर्हता) सहित पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

16-निविदादाता को अन्य जिले में टेण्डर डालने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि टेण्डरदाता अधिकतम तीन जनपद में ही अपनी पृथक-पृथक ट्रकों का उल्लेख कर निविदा में भाग ले सकता है। ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर इस बात का उल्लेख करना होगा कि उसके द्वारा एक जनपद में दिये गये ट्रकों का उल्लेख अन्य जनपद में नहीं किया गया है। एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को मात्र दो जनपद में ही परिवहन ठेकेदार नियुक्त किया जा सकता है।

17- उर्वरक/बीज की प्राप्त निविदा में एल-1 निविदादाता का निर्धारण उर्वरक रैक हैण्डलिंग दरों तथा विक्री केन्द्रों हेतु प्रेषित परिवहन दरों का एक साथ किया जायेगा एवं जनपद में स्वीकृत सभी ठेकेदारों को रैक हैण्डलिंग एवं परिवहन दोनों का कार्य किया जायेगा। विक्री केन्द्रों पर अनलोडिंग मद का भुगतान परिवहन ठेकेदार को अलग से किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

श्री 00/एफ 0  
श्री 00/एफ 0  
श्री 00/एफ 0



- स- समय से परिवहन अथवा हैण्डलिंग कार्य न करना।  
 द- पर्याप्त मात्रा में श्रमिक (लेबर) अथवा स्टाफ न रखना।  
 ह- उर्वरक की कालावाजारी/ड्रायवर्जन आदि में लिप्त पाया जाना।  
 म- मॉग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध न कराये जाने व अन्य वांछित वाहन उपलब्ध न करा पाना/अनैतिक कार्य /असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर।  
 य- कार्य स्वयं न कर सवलेट करना अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाना।  
 र- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्यवहार, अपराध, मारपीट अथवा धमकी देने जानें, किसी भी प्रकार का अनुचित दवाव डालने पर।  
 ल- वांछित प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि जमा न करना।  
 व- अनुबन्ध होने के 05 दिन के अन्दर जी0पी0एस0 एवं कलर कोडिंग न कराया जाना।  
 श- ट्रकों के नम्बर, व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/सहकारी संस्था के नाम सहित ब्लैक लिस्ट/डिवार आदि कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

जिला प्रबन्धक पीसीएफ द्वारा उक्त हेतु परिवहन ठेकेदार को नोटिस निर्गत की जायेगी। प्रथम नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः दूसरी नोटिस मुख्यालय स्तर से प्रेषित की जायेगी। 02 नोटिस निर्गत करने के उपरान्त संतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर परिवहन ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही 05 वर्ष तक के लिए डिवार करते हुए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

परिवहन ठेकेदार को टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध करते हुए समस्त ट्रकों का विवरण जिला प्रबन्धक को नही उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी अर्नेस्टमनी जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

32- परिवहन ठेकेदार एवं पीसीएफ के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन किया जायेगा, जो दोनों पक्षों के लिए वाध्यकारी होगा।

33- परिवहन ठेकेदार नियुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को मॉग के अनुरूप प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के भीतर वांछित ट्रक उपलब्ध कराने होंगे। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में वांछित ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

अ- एक से दो दिन में ट्रक उपलब्ध न कराने पर रू0 2000/- प्रति दिन प्रति ट्रक के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती जिला प्रबन्धक पीसीएफ द्वारा की जायेगी।

ब- तीन दिन तक ट्रकें उपलब्ध न कराये जाने पर नोटिस/स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुए ठेकेदार की प्रतिभूति (जमानत) धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण दोष के आधार पर ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार अनुबन्ध निरस्तीकरण/निलम्बन /ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

34- पीक सीजन में ट्रकों की संख्या को यथावश्यक और बढ़ाया जाये जिससे कि समितियों में उर्वरक आपूर्ति में समस्या न हो।

35- यदि परिवहन ठेकेदार द्वारा हैण्डलिंग/परिवहन आदि का कार्य नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा उसके रिस्क एण्ड कास्ट पर कार्य करा लिया जायेगा तथा कराये गये कार्य की लागत धनराशि से दो गुनी धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

36- फर्म के अन्य पार्टनर अथवा उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) में परिभाषित किसी व्यक्ति का निकट सम्बन्धी उसी जनपद में निविदा डालने हेतु अर्ह नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

के.डी. प्रबन्धक  
 पी.सी.एफ. विन्धावल मण्डल  
 गोरजापुर



Scanned with OKEN Scanner

- 37-पंजीयन/निविदा की स्वीकृति/ अनुबन्ध निरस्तीकरण/निलम्बन /ब्लैक लिस्टिंग करने आदि का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ में निहित होगा।
- 38- टेण्डर फार्म के प्रस्तर 4 में रैंक हैण्डलिंग की पल्लेदारी सहित दरें प्रत्येक किमी रलैव के सम्मुख अलग-अलग अंकित की जायें। यदि अधिक किमी के रलैव की दरें कम किमी के रलैव की दरों से कम हैं तो अधिक किमी के रलैव के लिए आफर की गयी दर कम किमी के रलैव के लिए स्वीकृत की जायेंगी। अतः दरें सावधानी पूर्वक अंकित की जायें।
- 39- यदि निर्धारित समय पर निविदा सम्पादित कर दरें स्वीकृत नहीं की जाती हैं और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 40- निविदा सम्पादित कराने के उपरान्त मण्डलीय कमेटी द्वारा जनपद हेतु पुनः निविदा की संस्तुति की जाती है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा तत्काल पुनः निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में कराते हुए पारदर्शी/नियमानुसार निविदा सम्पादित करायी जायेगी।
- 41-क्षेत्रीय प्रबन्धक निविदा में एल-1 निविदादाता की संस्तुति योग्य दरें प्राप्त होने पर, फाइनेंसियल बिड खुलने के दूसरे दिन मण्डलीय कमेटी की स्पष्ट संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर दरों के अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी तथा अनुमोदन प्राप्त होते ही उसी दिन निर्धारित प्रारूप पर दरें जारी कर प्रति मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।
- 42- निविदा सूचना के सम्बन्ध में जिला प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक पीसीएफ स्तर से अधिक से अधिक संख्या में परिवहन ठेकेदारों को सूचित किया जाये तथा निविदा सूचना जिला कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय पीसीएफ, इफको, कृभको के एरिया मैनेजर कार्यालय तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक सहकारिता उ०प्र०, आर०एफ०सी, कलेक्ट्रेट आदि कार्यालयों में चस्पा कराई जायें।
- 43-टेण्डर फार्म के साथ संलग्न सामान्य निर्देशों, शर्तों तथा नियमों का भली भाँति अध्ययन कर लिया जाये एवं उसके सम्बन्ध में टेण्डरदाताओं को भी अवश्य अवगत करा दिया जाये तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निविदा की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाये।
- 44-परिवहन ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा। पीसीएफ/भारत सरकार/ राज्य सरकार/ सरकारी विभाग/अर्द्ध सरकारी विभाग/निगम से ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति/फर्म के टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 45-परिवहन ठेकेदार/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भी साझेदार पर किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी धोषित कर दिया गया हो तो उसके टेण्डर फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 46-परिवहन ठेकेदार को अपनी फर्म/एल०एल०पी०/कम्पनी में किसी भी प्रकार के बदलाव यथा संरचना/प्रकृति/पता में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- 47-अन्य किसी भी शर्तों के साथ जो टेण्डर फार्म के साथ संलग्न शर्तों से भिन्न हों, टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अपलोड होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 48-टेण्डर प्रक्रिया में टेण्डरदाता स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कोई एक व्यक्ति ही भाग ले सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व टेण्डरदाता द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

निदेशक प्रबन्धक  
पीसीएफ मन्त्रालय मण्डल  
मैरजापुर




Scanned with OKEN Scanner

49-टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर फार्म का प्रत्येक पृष्ठ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ तथा टेण्डर फार्म के साथ संलग्न किये गये सभी संलग्नकों को स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा निविदा फार्म पूरा भरते हुए टेण्डर फार्म में वर्णित सभी वांछित प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

50-जिस दिन निविदा खोली जायेगी उस दिन तक वांछित प्रपत्र की वैधता पूर्ण होनी आवश्यक है।


संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


  
(डॉ. चन्द्र भूषण)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त मण्डल के उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।

2-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।


  
प्रबन्ध निदेशक


  
केन्द्रीय प्रबन्धक  
डी०सी०एफ० दिव्याप्रल मण्डल  
मीरजापुर

**PCF उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0**  
**32, स्टेशन रोड, लखनऊ।**

**निविदा ई-टेण्डरिंग की सूचना**

- परिवहन ठेकेदारों/फर्मस/कम्पनीज से दिनांक 31.03.2028 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक एवं बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग, रिवैगिंग तथा पल्लेदारी कार्य हेतु ई-निविदायें यू0पी0 ई-टेण्डर वेवसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड कर दिनांक 18.04.2026 को अपराहन 03.00 बजे तक उक्त पर अपलोड की जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित समस्त जानकारी नियम व शर्तें उपर्युक्त वेवसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

  
प्रबन्ध निदेशक

  
प्रबन्ध निदेशक  
पी0सी0ए000 डिम्बावल मण्डल  
मीरजापुर